




अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम नीमकाधाना

..... हरदेव राम बानाम तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा प्राप्ति लगन नम्बर 73 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/10/22	<p>रिपोर्ट करिस्ता होकर प्रायना पडल्लगत पेश इसा। वकील प्राधी उपर वदल वकील प्राधी एक पलीप हुनी गई। वदल वकील प्राधी पर मनन किया गया। पत्रवली व पत्रवली में उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात क्राधी को दखान कादेश से मूल रिपोर्ट प्राप्त होने तक वाक-उ किया जाता है कि मु० न० 7/22 इनवारी सरकार बनाप हरदेव राम में चारित निर्णय दिनांक 6.9.22 कि प्रिया-वति लघागत रखी जाने के कादेश दिने जाते हैं। प्रायना पड/क्रील से लघागत मूल रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी दि जावे। पत्रवली दर्ज रजिस्टर डि जाकर गोदल विदड क्राधी जारी होकर पत्रवली दिनांक 17-11-2022 से पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाधाना (सीकर) </p>	
17.11.22	<p>पत्रवली पेश इडी वकील प्राधी वदल पत्रवली वाक-उ जाकर। वदल डि० 30/11/22 से पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

30/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरो
प्राचीन पत्र से सम्बन्धित मूल दस्तावेज
का निष्पत्ति ही चुका है। अब इस
प्राचीन पत्र में कोई कार्यवाही किया
जाना अयोजित नहीं है। अब शर्मा का
प्राचीन पत्र बाहर स्थान खोजा गया
जाता है। पत्रावली फाइल नुमांदा होकर
नम्बर से कम होकर दायित्व पर है

